<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या— 37/2025</u>

1. मोहनलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

—अपीलान्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय   दिनांकः— 23/12/2025

अपीलांट मोहनलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील व जिला सिरसा द्वारा तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा मोहनलाल पुत्र शिशपाल जाट बनाम सर्व साधारण मि.नं. 01/2025 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 से अपीलान्ट का प्रार्थना—पत्र बाबत वसीयत के आधार पर नामान्तरण का खारिज किया गया, को अपास्त करने बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलान्ट की नानी श्रीमती निधी पत्नि भागमल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6 भादरा ने दिनांक 05.08.2022 को जयलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा से 0.742 हैक्टर भूमि खरीद कर बैयनामा तहरीर व तस्दीक करवाया था।

2. अपीलान्ट की नानी निधी द्वारा अपीलान्ट को लाड प्यार के कारण दिनांक 30.07.2024 को उप पंजीयक कार्यालय भादरा से वसीयतनामा स्वस्थ मन चित बुद्धि से तहरीर व तस्दीक करवाया था अपीलान्ट की नानी निधी का देहान्त दिनांक 26/11/2024 को हो गया। नानी निधी की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के समक्ष दिनांक 03.01.2025 को प्रार्थना पत्र जिसके साथ वसीयत नामा दिनांक 30.07.2024 की प्रतिलिपि व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करके नामान्तरण मुताबिक वसीयतनामा के करने का निवेदन किया जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्रांक [illegible] 1 दिनांक 15.01.2025 मुर्तिब करके पटवारी हल्का से विस्तृत तथ्यात्मक जांच हेतु लिखा जाकर दिनांक 29.01.2025 की तारीख पेशी निश्चित की गयी दिनांक 29.01.2025 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 18.03.2025 तक पत्रावली वास्ते रिपोर्ट विचाराधीन रही व दिनांक 01.04.2025 को वसीयत में दर्ज गवाहान के बयान शामिल पत्रावली किये गये व स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र लेकर शामिल पत्रावली किये गये।

4. यह कि दिनांक 21.04.2025 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल की गयी व पत्रावली व वसीयत के अवलोकन हेतु आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 27.05.2025 मुकर्रर की गयी

5. दिनांक 27.05.2025 को मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की वसीयत को मानते हुये व विधि अनुसार सही मानते हुये निर्णय में यह दर्शित करते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त 28 (6) के अनुसार इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अन्तरिती को आवंटन का अधिकारी होने पर ही आवंटन किया जा सकता है एवम् राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल्स 1955 के नियम 13 (2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता। इसलिये वसीयत पत्रावली में उपनिवेशन अधिनियमों की अवहेलना के कारण खारिज की जाती है। यह निर्णय विधि – विरूध व अपीलान्ट के हकों के मुकाबले शून्य है, जो अपीलान्ट निम्न आधारों पर अपास्त करापाने का अधिकारी है–

(क) मातहत अदालत का निर्णय विधि–विरूद्ध मनमाना व स्वेच्छाचारिता पूर्ण है इसलिये अपास्त योग्य है।

(ख) मातहत अदालत ने अपीलकृत आदेश पारित करने में माईन्ड अप्लाई नहीं किया है और साईक्लो स्टाईल निर्णय लिख कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। मातहत अदालत ने दर्जनों फैसले इस भाषा में लिखें है, जो बाद में अपीलीय कोर्ट श्रीमानजी की अदालत द्वारा निरस्त किये गये है, उसके बावजूद भी उन निर्णयों व नजीरों पर ध्यान न देकर मनमाना निर्णय पारित करना विधि – विरूद्ध है व अपास्त योग्य है।

(ग) मातहत अदालत ने विधि की अवहेलना ही नहीं किया हिन्दू उतराधिकार में वसीयत उतराधिकार का दस्तावेज है [illegible] अन्य कोई कानून लागू नहीं होता। इस बिन्दू पर भी ध्यान नहीं दिया [illegible] निधी की निर्वसीयती मृत्यु होती तो विरासतन निधी के बेटे व बेटी को ही हक मिलता, बेटी चाहे किसी अन्य राज्य में ब्याही हुई हो और बेटी के हक में बेटे दस्तबरदारी करते तो क्या कोई दूसरा कानून आड़े आता, इसलिये मातहत अदालत ने निर्णय पारित करते वक्त माईन्ड अप्लाई नहीं किया, अपीलकृत आदेश अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(घ) मातहत अदालत ने जिस नियमो का आधार देकर खारिज किया है वे इस प्रार्थना पत्र पर लागू ही नहीं होते, भूमि का कोई आवंटन नहीं किया जाना था, भूमि को वसीयत के अनुसार दर्ज किया जाना था। न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व यह अध्ययन नहीं किया कि यदि कोई निर्वसीयती अपनी सम्पति छोड़ जाता है और उसका सबसे नजदीकी वारिस भारत के किसी क्षेत्र में रहता है और हिन्दू विधि से भूमि उसे उतराधिकार में प्राप्त होनी है तो उपनिवेशन अधिनियम आड़े नहीं आता है। ये कार्यावाही तो हिन्दू विधि अनुसार होनी है किन्तु मातहत अदालत ने नियतन अपीलकृत आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है।

(ड़) अपील के अन्य कानूनी बिन्दु बरवक्त बहस न्यायालय की इजाजत से निवेदन कर दिये जायेंगे।

6. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा निश्चित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत अदालत तहसीलदार राजस्व भादरा से अनवानी पत्रावली मोहनलाल बनाम सर्वसाधारण मि.नं. 01 दिनांक 15.01.2025 तलब की जाकर निर्णय दिनांक 27.05.2025 अपास्त कर वसीयत दिनांक 30.07.2024 की पालना कर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त संख्या 28(6) के अनुसार इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अन्तरित को आंवटन का अधिकारी होनें पर ही अन्तरण किया जा सकता है एंव राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा विक्रय नियम) [illegible] नियम 13(2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति का आंवटन नहीं किया जा सकता है" के आधार पर अपीलांट का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया न कि भूमि आंवटन बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39(5) के अनुसार– *"एक व्यक्ति अपनी सम्पति की वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, जो उसकी इच्छाओं के अनुसार उस सम्पति को धारण करनें योग्य है। विल करनें के लिए धर्म कोई प्रतिबंध नहीं या बाधा नहीं है। एक "विल" (क) बच्चों ओर वारिसों (ख) अजन्में व्यक्ति (ग) धार्मिक या मूर्त संस्थानों के पक्ष में की जा सकती है।"* अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 में भूल कारित की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

23/12/25

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:38:41 IST
Reason: SelfAttested